संख्याः 4/2025/56/35-4-2025/35-4099/512/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 17 जनवरी,2025

विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की लागत पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र-पट्टी में शासनादेश संख्या-609/2021/2623/35-4-2021, दिनांक 29.12.2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित स्वीकृत कुल 03 कार्यों में से क्रमांक-3 पर अंकित कार्य यथा-**ग्राम सभा चौपाई में चौहान बस्ती से मटका पीर बाबा तक इण्टरलाकिंग कार्य (लम्बाई-250 मी0)** की रू. 17.79 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़के पत्र संख्या-510/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2021-22, दिनांक 05नवम्बर, 2024द्वारा उक्त शासनादेश के क्रमांक-03पर अंकित मार्ग की चौड़ाई कतिपय स्थानों पर कम होने के कारण उक्त कार्य की संशोधित आगणन उपलब्ध कराते हुए कार्य की लागत को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति के क्रम में उक्त कार्य की रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्य की मूल लागत एवं पुनरीक्षित लागत के अन्तर की धनराशि को राजकोष के सुसंगत खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.12.2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः 4/2025/56(1)/35-4-2025/35-4099/512/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य0क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
10- मुख्यं/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
11- वित्तं व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ़।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।